

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 256 /2025 दिनांक : 27.01.2025

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.26(55) न्याय/2015 भाग-IV, दिनांक 12.03.2024 एवं पूर्व आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 के क्रम में राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने पर सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 60 दिवस (06 अवसर) एक ब्लॉक वर्ष में 10 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है, जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	LTC हेतु समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष (अवसर)	समर्पित अवकाश की अवधि
01.	सुश्री पायल अग्रवाल (RJ01051), उप-निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।	10	2015 -2019 (प्रथम)	04.10.2019 से 13.10.2019
		10	2019 -2023 (द्वितीय)	11.09.2024 से 17.09.2024

आज्ञा से,



27/01/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


क्रमांक :- स्था.बी. 2(4)/39/2016/ 051

दिनांक : 27 .01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर
3. सुश्री पायल अग्रवाल (RJ01051), उप-निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।


27/01/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


27/01/25